

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 51/2021 जीसीएमएस : 2021/104 दलीप कुमार आदि बनाम अता मोहम्मद आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये</p>
<p>27.02.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। मजीद बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि में वादीगण के नाम से प्रत्येक 506/5263 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसमें से वादीगण ने अपने हिस्सा की कुल 1.012 है। भूमि का किले वाईज विभाजन करवाकर वादीगण के नाम से दर्ज किये जाने के अनुतोष आधारित वाद पत्र पेश किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2024/3145 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अधिवक्ता वादी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत नक्शा का अवलोकन किया। न्यायालय की राय में विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित है। साथ ही प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई विरोध भी दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विवादित भूमि चक 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर की जमाबंदी खाता सं. 2 में दर्ज मु.नं. 40,53,54 की कुल खाता योग 5.263 है। कमाण्ड/अ.क. के सहखातेदारान वादीगण दलीप कुमार पुत्र साहव राम व विध्या देवी पत्नी ख्यालीराम का अन्य सहखातेदार/प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जाकर निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :-</p>	
<p>श्री विजयनगर</p>	<p>चक 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर मु.नं. 53 प.नं. 127/406 कि. नं. 2/0.084 है. (पूर्वी पासा), 9/0.084 है. (पूर्वी पासा), 12/0.085 है. (पूर्वी पासा), कि.नं. 8/0.253 है., 13/0.253 है., 17/0.253 है. कुल 1.012 है. कमाण्ड बहिस्सा बराबर-बराबर</p>	
	<p>उपर्युक्त भूमि को पृथक खाता में वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से यथावत रहेगी। अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>शकुन्तला R.A.S. - उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p>	<p>QR Code</p>

डिक्री व मुकदमें इबादाइ
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर
बईजलास शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 51/2021

जी.सी.एस.एस. नं. : 2021/104

दलीप कुमार आदि बनाम अता मोहम्मद आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राज.काश्त.अधि., 1955

दिनांक:-27.02.2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री लाजपत राय की उपस्थिति में वाद के आज अन्तिम निपटारे हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

" वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विवादित भूमि चक 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर की जमाबंदी खाता सं. 2 में दर्ज मु.नं. 40,53,54 की कुल खाता योग 5.263है. कमाण्ड/अ.क. के सहखातेदारान वादीगण दलीप कुमार पुत्र साहब राम व विध्या देवी पत्नी ख्यालीराम का अन्य सहखातेदार/प्रतिवादीगण से खाता विभाजन किया जाकर निम्नलिखित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :-

चक 15 एसडी तहसील श्रीविजयनगर मु.नं. 53 प.नं. 127/406 कि.नं. 2/0.084है.(पूर्वी पासा), 9/0.084है.(पूर्वी पासा), 12/0.085है.(पूर्वी पासा), कि.नं. 8/0.253है., 13/0.253है., 17/0.253है. कुल 1.012है. कमाण्ड बराबर-बराबर

उपर्युक्त भूमि को पृथक खाता में वादीगण के नाम से बहिस्सा दर्ज की जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम से यथावत रहेगी। अन्य अर्केन बदस्तुर रहेगा। "

डिक्री आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शकुन्तला

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी	/	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प.....		9.प्लीडर की फीस	
रूपये पर प्लीडर की फीस		10.साक्षियों के लिए	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		निर्वाह-व्यय	
5.कमिश्नर की फीस		11.आदेशिका की तामील	
6.आदेशिका की तामील		12-कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	